

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड शाहपुरा जिला जयपुर

क्रमांक/आरए/20/ 2122

दिनांक:- 22/12/2020

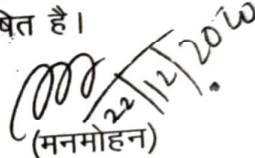
श्रीमान अति० जिला कलक्टर प्रथम महोदय,
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, जयपुर

विषय:- Diversion of 1.445 ha. of forest land in favour of Public Works
Department. Shahpura, Jaipur, Construcion of Road widening &
Strengthening of Manoharpur to Itawa Bhopji via Nawalpura
Charanwas (MDR-187) Proposal No. FP/RJ/ROAD/35096/2018.

प्रसंग:- सहा० अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड अमरसर के पत्रांक 140 दिनांक 28.9.20।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रांसागिक पत्र के द्वारा चाहा गया प्रस्ताव निर्धारित
चैक लिस्ट में तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड शाहपुरा

राजस्थान वू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के भूमि आवंटन की चेकलिस्ट

राजकीय विद्यालय/विभाग/संस्था इत्यादि का नाम	वृक्ष विभाग
1. भूमि आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)	वृक्ष विभाग
2. क्या इसी प्रयोजन के लिए पूर्व में भूमि का आवंटन हुआ है ? यदि हाँ तो इसका विवरण अंकित करें।	नहीं
3. क्या संस्था राज्य सरकार से स्वीकृत है अथवा नहीं ?	वृक्ष विभाग को शक्ति दे दी जायेगी
4. प्रस्तावित संस्था कहाँ व किस स्थान/ग्राम में कितनी भूमि पर स्थापित है ?	शक्ति दे दी जायेगी
5. भूमि आवंटन के संबंध में राजकीय विभाग/विद्यालय का पत्र प्रस्ताव में शामिल है अथवा नहीं ?	PWD का पत्र संलग्न है
6. संस्था/विभाग के पास वर्तमान में कितनी उपलब्ध है ?	लगभग 4 अड़
7. क्या उक्त भूमि संस्था को आवंटित है ?	नहीं
8. क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है ?	नहीं
9. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है ?	भूमि शक्ति दे दी जायेगी
10. प्रस्तावित की गई भूमि के संबंध में 1963 के नियम-2 के अंतर्गत भूमि आवंटन का निर्धारित मापदण्ड क्या है ?	नहीं
11. यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित/निश्चित किये गये हैं तो उसका विवरण	नहीं
12. मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य	शक्ति दे दी जायेगी
13. प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत का निरापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव संख्या व दिनांक सहित) प्रस्ताव में संलग्न है अथवा नहीं ?	नहीं
14. प्रस्तावित भूमि पर यदि निर्माण हो चुका है तो निर्माण कितने क्षेत्रफल में है ?	शक्ति दे दी जायेगी
15. आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का विवरण	विशेष गत
(1) ग्राम का नाम	विशेष गत
(2) ग्राम पंचायत का नाम	
(3) तहसील का नाम	शहपुरा
(4) खसरा नम्बर	1145
(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल	9.01 हे०
(6) भूमि की किस्म	गै. भू. पहाड
(7) प्रस्तावित क्षेत्रफल	1.4450 हे०
(8) जमाबन्दी व खसरा नक्शे की प्रति संलग्न है अथवा नहीं ?	संलग्न है
(9) प्रस्तावित भूमि खसरा नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित की हुई है अथवा नहीं ?	हां
(10) प्रस्तावित भूमि में पहुँच मार्ग हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं ? यदि रास्ता उपलब्ध है तो मय प्रस्तावित नक्शा द्वारा में अंकित गया है अथवा नहीं ?	शक्ति वृक्ष विभाग को लगाने के बख्ते की आवश्यकता नहीं
(11) प्रस्तावित खसरा नम्बर में पूर्व आवंटित भूमियों की तरमीम की जा चुकी है अथवा नहीं ? तरमीम से शेष है तो कारण स्पष्ट करें।	पूर्व में कोई आवंटन नहीं है
(12) प्रस्तावित भूमि ग्राम की मुख्य आबादी से कितनी दूरी पर स्थित है ?	2.0 Km
(13) प्रस्तावित भूमि यदि विद्यालय के खेल मैदान के लिए चिह्नित की गई है तो राजकीय विद्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है ?	नहीं
(14) प्रस्तावित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त है	उपयुक्त है

Heer
जयपुर 21/11/2016

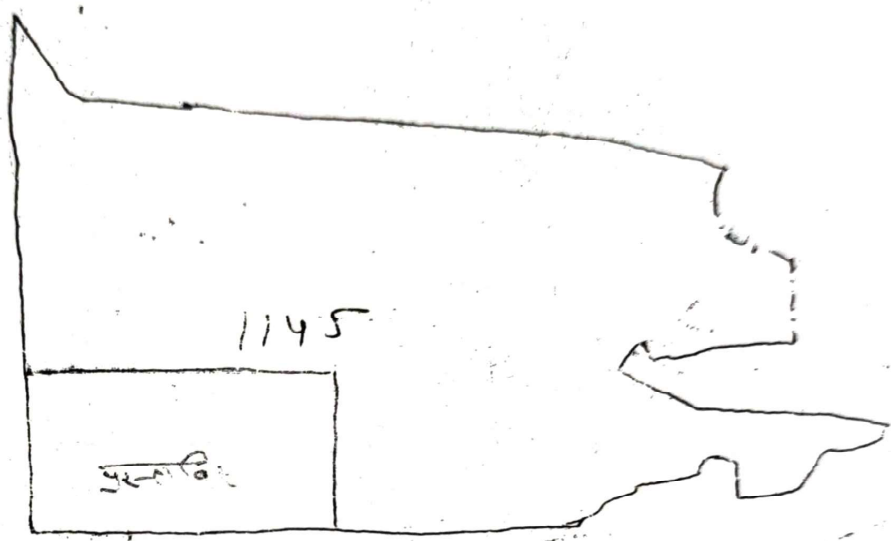
तहसीलदार
तहसील शाहपुरा (जयपुर)

16	अथवा नहीं ? यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो -	नहीं
	(1) ग्राम की पशु संख्या कितनी है ?	लगभग नहीं
	(2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् ग्राम में उपलब्ध चरागाह भूमि	लगभग नहीं
	(3) पशुओं के अनुपात में क्या चरागाह भूमि पर्याप्त है अथवा नहीं	लगभग नहीं
	(4) यदि नहीं, तो चरागाह की वैकल्पिक व्यवस्था	लगभग नहीं
	(5) चरागाह भूमि आवंटन के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा चरागाह भूमि आवंटन / आरक्षण पर रोक लगाई हुई है। यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो इसकी क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सिंचायक भूमि के प्रस्ताव उक्त आवंटन प्रस्ताव के साथ संलग्न है अथवा नहीं ?	नहीं
	(6) चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिंचायक भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस आशय का प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी की ओर से बाद जॉच प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जावे।	नहीं
17	प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न है अथवा नहीं ?	संलग्न है
	(1) प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति।	कोई अतिक्रमण नहीं
	(2) प्रस्तावित भूमि के संबंध में मा० न्यायालय में विचाराधीन वाद/स्थगन एवं अन्य विवाद की स्थिति।	नहीं
	(3) प्रस्तावित भूमि नदी/नाला / जलग्रहण क्षेत्र के कैचमेंट एरिया / बहाव में स्थित है अथवा नहीं ?	नहीं
	(4) क्या प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित है ?	नहीं
	4-ए प्रस्तावित भूमि माफी मन्दिर में तो नहीं है।	नहीं
	(5) प्रस्तावित भूमि नगर निगम / नगरपालिका की सीमा / परिधीय सीमा / मास्टर प्लान में तो नहीं है	नहीं
	(6) प्रस्तावित भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है ?	50 Km
	(7) प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग यथा रास्ता, शमसान, कब्रिस्तान आदि के उपयोग में तो नहीं आ रही है ?	नहीं
	(8) क्या प्रस्तावित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ पूर्व में आरक्षित / अवाप्ताधीन है अथवा नहीं ?	नहीं
	(9) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं ?	नहीं
	(10) प्रस्तावित भूमि रेलवेलाइन / राष्ट्रीय राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड / ग्रामीण सड़क से कितनी दूरी पर स्थित है।	रेलवे लाइन से 50 Km
	(11) विद्युत कम्पनियों / निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है तो प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डी०एल०सी० दर क्या है ?	लगभग नहीं
	(12) प्रस्तावित भूमि पर यदि हरे वृक्ष लगे हुए हैं तो वृक्षों की संख्या / वृक्षों की अनुमानित आयु / वृक्षों की किस्म का उल्लेख किया जावे।	नहीं
18	आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के राजस्व ग्राम में स्थित राजकीय विद्यालयों के समायोजन के दौरान रिकत हुए राजकीय विद्यालय के भवन का नाम अथवा अनुपयोग राजकीय भूमि अथवा भवन का नाम	लगभग नहीं
19	उपखण्ड अधिकारी की स्पष्ट अभिशप्ता	बीएसपी 2022 सड़क बनावे में नाम अभी है जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु अक्टूबर 2022 में माफिया अचिर हो

हस्ताक्षर तहसीलदार
तहसील शाहपुरा (जयपुर)

हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी
हस्ताक्षर शाहपुरा पंचायत मुख्यालय

नवल खण्डा देस
 जयपुर जिला
 शाहपुरा
 जिला शाहपुरा (रा.प.)



राजपूत देस नि. मुस्ताफा

C.S.

उप खण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

पटवार म. अ. 1/5 12-20
 तहसील शाहपुरा (जयपुर)
 तहसीलदार
 तहसील शाहपुरा (जयपुर)

	मैदान के लिए चिह्नित की गई है तो राजस्व विभाग से कितनी दूरी पर स्थित है।	नहीं
	(14) प्रस्तावित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं ?	हां
16	यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो	लाइव नहीं
	(1) ग्राम की पशु संख्या निम्नलिखित है ?	लाइव नहीं
	(2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् ग्राम उपयुक्त चरागाह भूमि।	लाइव नहीं
	(3) पशुओं के अनुपात में क्या चरागाह भूमि पर्याप्त है अथवा नहीं ?	लाइव नहीं
	(4) यदि नहीं तो चरागाह की वैकल्पिक व्यवस्था।	लाइव नहीं
	(5) चरागाह भूमि आवंटन के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा चरागाह भूमि आवंटन / आरक्षण पर रोक लगाई हुई है। यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो इसकी क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायचक भूमि के प्रस्ताव उक्त आवंटन प्रस्ताव के साथ संलग्न है अथवा नहीं ?	लाइव नहीं
	(6) चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस आशय का प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी की और से बाद जॉच प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जावे।	लाइव नहीं
17	प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में पटवारी की मौका शीट संलग्न है अथवा नहीं ?	लाइव नहीं
	(1) प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति	लाइव नहीं
	(2) प्रस्तावित भूमि के संबंध में मा० न्यायालय में विचाराधीन वाद / स्थगन एवं अन्य विवाद की स्थिति।	लाइव नहीं
	(3) प्रस्तावित भूमि नदी / नाला / जलग्रहण क्षेत्र के केचमेन्ट एरिया / बहाव में स्थित है अथवा नहीं ?	लाइव नहीं
	(4) क्या प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित है अथवा नहीं ?	लाइव नहीं
	4-ए प्रस्तावित भूमि माफी मन्दिर में तो नहीं है।	लाइव नहीं
	(5) प्रस्तावित भूमि नगर निगम / नगरपालिका की सीमा / पश्चिमी सीमा / मास्टर प्लान में तो नहीं है ?	लाइव नहीं
	(6) प्रस्तावित भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है ?	50 Km
	(7) प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग यथा रास्ता, शमसान, कब्रिस्तान आदि के उपयोग में तो नहीं आ रही है ?	लाइव नहीं
	(8) क्या प्रस्तावित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ पूर्व में आरक्षित / अवाप्ताधीन है अथवा नहीं ?	लाइव नहीं
	(9) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं ?	लाइव नहीं
	(10) प्रस्तावित भूमि रेल्वे लाइन / राष्ट्रीय राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड / ग्रामीण सड़क से कितनी दूरी पर स्थित है ?	50 Km दूर नहीं
	(11) विद्युत कम्पनियां / निगमों की भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है तो प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डी०एल०वी० दर क्या है ?	लाइव नहीं
	(12) प्रस्तावित भूमि पर यदि हरे वृक्ष लगे हुए हैं तो वृक्षों की संख्या / वृक्षों की अनुमानित आयु / वृक्षों की किस्म का उल्लेख किया जावे।	लाइव नहीं
	(13) उपखण्ड अधिकारी की स्पष्ट अभिरामणा	लाइव नहीं

तहसीलदार
शाहपुरा (जयपुर)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

क्र.	प्रश्न/विषय	जवाब/टिप्पणी
1	राजकाय विभाग/विभाग/ संस्था इत्यादि का नाम	राजकाय विभाग
2	भूमि आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में सार अंकित करें)	शाला 2 फीट 6 इंच आवंटन
3	क्या इसी प्रयोजन के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है ? यदि हाँ तो उसका विवरण अंकित करें।	नहीं
4	क्या संस्था राज्य सरकार से स्वीकृत है अथवा नहीं ?	हाँ
5	वर्तमान में संस्था कहाँ व किस स्थान/ग्राम में कितनी भूमि पर संचालित है ?	आवंटन 2 फीट 6 इंच आवंटन
6	भूमि आवंटन के संबंध में राजकाय विभाग/विद्यालय का नांग पत्र प्रस्ताव में शामिल है अथवा नहीं ?	PWD द्वारा पत्र संख्या 8
7	संस्था/विभाग के पास वर्तमान में कितनी भूमि उपलब्ध है ? क्या उक्त भूमि संस्था को आवंटित है ?	आवंटन 2 फीट 6 इंच आवंटन
8	क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है ?	शाला 2 फीट 6 इंच
9	प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है ?	शाला 2 फीट 6 इंच आवंटन
10	प्रस्तावित की गई भूमि के संबंध में 1963 के नियम-2 के अंतर्गत भूमि आवंटन के निर्धारित मानदण्ड क्या है ?	आवंटन 2 फीट 6 इंच आवंटन
11	विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित/निश्चित किए गए हैं तो उसका विवरण	नहीं
12	मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य	नहीं
13	प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत का निरापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक सहित) प्रस्ताव में संलग्न है अथवा नहीं ?	नहीं
14	प्रस्तावित भूमि पर यदि निर्माण हो चुका है तो निर्माण कितने क्षेत्रफल में है ?	नहीं
15	आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का विवरण :-	
	(1) ग्राम का नाम	विशाल गाँव
	(2) ग्राम पंचायत का नाम	विशाल गाँव
	(3) तहसील का नाम	शाला 2 फीट 6 इंच
	(4) खसरा नम्बर	1145
	(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल	9.01 हे०
	(6) भूमि की किस्म	गै-फ़ पट्टा
	(7) प्रस्तावित क्षेत्रफल	1.4450 हे०
	(8) जमाबन्दी व खसरा नक्शे की प्रति संलग्न है अथवा नहीं ?	संलग्न है
	(9) प्रस्तावित भूमि खसरा नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित की हुई है अथवा नहीं ?	हाँ
	(10) प्रस्तावित भूमि में पहुँच मार्ग हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं ? यदि रास्ता उपलब्ध है तो मय रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकित किया गया है अथवा नहीं ?	नहीं वरन् विभाग में संलग्न है रास्ते की आवश्यकता नहीं है
	(11) प्रस्तावित खसरा नम्बर में पूर्व में आवंटित भूमियों की तरमीम की जा चुकी है अथवा नहीं ? तरमीम से शेष है तो कारण स्पष्ट करें।	पूर्व में कोई आवंटन नहीं है
	(12) प्रस्तावित भूमि ग्राम की मुख्य आबादी से कितनी दूरी पर स्थित है।	2 Km
	(13) प्रस्तावित भूमि यदि विद्यालय के खेल	नहीं

सिद्धांत

15-12-20
50/11

तहसीलदार
तहसील शाहपुरा (जयपुर)